



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072023-246994
CG-DL-E-04072023-246994

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2776]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2023/आषाढ 12, 1945

No. 2776]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2023/ASHADHA 12, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

का.आ. 2899(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती रवनीत कौर को, पद भार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक या अग्रिम आदेश होने तक, जो भी पूर्वतर हो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

2. उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 द्वारा शासित होंगे।

[फा. सं. सीओएमपी- 05/19/2022-सीओएमपी-एमसीए]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2023

S.O. 2899(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 read with sub-section (1) of section 10 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby, appoints Smt. Ravneet Kaur as Chairperson of the Competition Commission of India for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or till the date of attaining the age of sixty-five years or until further orders, whichever is the earliest.

2. The terms and conditions of her service shall be governed by the Competition Commission of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2003.

[F. No. Comp-05/19/2022-Comp-MCA]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.